

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

क्रमांक 04-04/उवेमा-

/ 3695

जबलपुर, दिनांक 22-11-2016

आदेश

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के आदेश क्रमांक 01-05/1/WC/ 143, दिनांक 19.7.90, एवं म0प्र0पा0द्रा0क0लि0 के परिपत्र क्रमांक AS/MPPTCL/1735 दिनांक 25.08.2005 सहपठित आदेश क्रमांक AS/MPPTCL/2929 दिनांक 10.10.2012 द्वारा ग्राह्य तथा दिनांक 01/01/2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना के प्रावधानों के अनुसार श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सिविल सहायक(कर्मचारी क्रमांक 86441530) कार्यालय कार्यपालन अभियंता (अउदा:निर्माण) संभाग-एक जबलपुर में कार्यरत को 18 वर्षीय द्वितीय विकल्प, नियम के अंतर्गत सिविल पर्यवेक्षक के पद का उच्च वेतनमान, वेतन संवर्ग ई-7, वेतन बैंड-2 में वेतनमान रु. 9300 - 34800/- सादृश्य ग्रेड वेतन रुपये 4100/- प्रतिमाह का लाभ, प्राप्त जानकारी / दस्तावेजों के आधार पर, दिनांक 19.07.2016 से इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि इस तिथि पर उनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं थी एवं यह तिथि उनको प्रदत्त किसी भी विभागीय दण्डावधि की परिधि में नहीं आती है।

8640

23/11/16

C.E. (Pig.&Design)
S.E. (Pig.)
S.E. (PS) / (Design)
S.E. (PSS)
E.E. (SSD/ITLD)/(PS)
E.E. (Pig. B) / (Pig. II)
A.E. (EA) / (LM) / (PS)
S.O.

उच्च वेतनमान की स्वीकृति का लाभ आगामी पद पर पदोन्नति या वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार सुनिश्चित नहीं करता है।

मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार)

म0प्र0पा0द्रा0क0लि0, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 22-11-2016

क्रमांक 04-04/उवेमा- / 3696
प्रतिलिपि :

1. कार्यपालक निदेशक(वित्त), म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर
 2. मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)/(अउदा:निर्माण) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर
 3. अधीक्षण यंत्री (अउदा:निर्माण) वृत्त म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर
 4. कार्यपालन यंत्री (अउदा:निर्माण) संभाग-एक म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर।
 5. कार्यपालन यंत्री(बेवमास्टर) कार्यालय मुख्य अभियंता(प्रोक्योरमेंट) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर।
 6. क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर।
 7. निज सचिव कार्यालय प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर।
 8. श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सिविल सहायक द्वारा - कार्यपालन यंत्री (अउदा:निर्माण) संभाग एक म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अ पदोन्नति का अवसर प्राप्त होने पर, पदोन्नति अस्वीकार करने/निर्धारित समय-सीमा में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मंडल के परिपत्र क्रमांक 143 दिनांक 19-07-1990 के प्रावधानों के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ वापस ले लिया जावेगा।
- ब. उक्त कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी से अनुरोध है कि वे आदेश अग्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च वेतनमान की स्वीकृति की तिथि पर कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं थी एवं वे दण्डावधि में नहीं थे। अन्यथा स्थिति में आदेश आवश्यक टीप के साथ इस कार्यालय को अविलंब लौटाना सुनिश्चित करें।
- स. उक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानान्तरित होने की स्थिति में इस आदेश को इस कार्यालय को वापिस न कर, कर्मचारी के वर्तमान कार्यालय में प्रेषित करने हेतु भेजा जावे।

अधीक्षण अभियंता

कार्यालय मुख्य अभियंता(परीक्षण एवं संचार)

म0प्र0पा0द्रा0क0लि0, जबलपुर